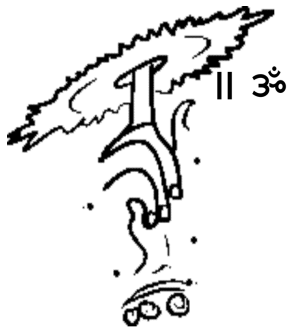

जय कुलदेवी

॥ ॐ कुल देवताभ्यो नमः ॥

''एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भुतो ना भविष्यति''

॥ ॐ पितृ देवताभ्यो नमः ॥

॥ ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥

जय कुलदेवी

.....~ मेरी भक्ति, कुलदेवी की शक्ति

wwwJayKulDevi.com info@JayKulDevi.com

वर्ष 5 अंक 10 जनवरी 2023 अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। पृष्ठ 4 मूल्य 20 रूपए

UNSOLVED CASES

... अन्याय और सामाजिक विषमता का विरोध

अनसॉल्वड कैसेस - जज साहिबा को जन्मदिन की बधाई भेजने के आरोप में अधिवक्ता की कहानी

भाग -1

जय कुलदेवी समाचार पत्र को दिए गए एक लंबे साक्षात्कार में जज साहिबा को जन्मदिन की बधाई भेजने के आरोप में इंजिनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता ने न्यायालय की वास्तविकता से लेकर वंशवादी वकालत और अन्य संबंधों पर भी बात की।

क्या राजा नन्दकुमार की तरह इंजिनियर विजय सिंह यादव अधिवक्ता को भी न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि शिकायतकर्ता, आपत्तिकर्ता और सुनवाईकर्ता तीनों एक हो तो ?

PARTICULARS OF CRIME/OFFENCE

Crime No. 101/2021

registered at Police Station Station Road, Ratlam (MP)

for offence punishable u/s

420, 467, 468, 469, 354 **(D)**, 509, 109 **and** 34 **of the Indian Penal Code,** 1860 **and**

Section 76 **and** 41 **of the Information Technology Act,** 2000.

घटना का दिनांक और समय - **Thu, Jan** 28, 2021 01 - 11 **AM** ,

प्रथम सुचना रिपोर्ट कि दिनांक और समय - 08/02/2021 22:21 **PM**,

चालान प्रस्तुति दिनांक : 06.05.2021

आरोप विरचित **(Framing of charge)**

दिनांक : आज दिनांक तक आरोप विरचित **(Framing of charge)** नहीं किया गया हैं।

गिरफ्तारी कि तारीख - 09.02.2021

जमानत पर रिहा करने कि तारीख - 16.06.2021

निरोध की अवधि -

4 months 7 **days**
4 months 7 days
or 18 weeks 1 days
or 127 days
or 3,048 hours
or 182,880 minutes
or 10,972,800 seconds

माननीय अनन्य विशेष न्यायालय , रतलाम (म.प्र.) के समक्ष विचारधीन प्रकरण **ST** 162 /2021 में प्रस्तुत आवेदन पत्रों विशेष रूप से अंतर्गत धारा 227 दं.प्र.स. 1973 एवं **COUNTER CASES** - माननीय अनन्य विशेष न्यायालय , रतलाम (म.प्र.) के समक्ष विचारधीन

1. **Case Number: CRR 60 /2021**
2. **Case Number: UNC R 411/2022**
3. **Case Number: UNC R 415/2022**
4. **Case Number: UNC R 412/2022**
5. **Case Number: CRR 14 /2022**
6. **Case Number: CRR 27 /2022**
7. **Case Number: CRR 80 /2022**

COUNTER CASES - माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचारधीन

1. **MCRC-34156-2021**
2. **MCRC-32517-2022**
3. **MCRC-23978-2022**

आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये थे, क्या जिनका साशय न्यायोचित निराकरण आज दिनांक तक नहीं किया गया हैं ?

प्रश्न 01 - आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे ?

जी बिलकुल मेरा यानि इंजिनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता का संक्षिप्त परिचय ! उच्च शिक्षित होकर **LL.B.,MBA, B.E., D.E.E.,PPDCA,ADCH&N Advanced Executive Program in Cyber Law, Program in IT Law** अनेकों उपाधियों को धारण करता हूँ ।

अधिवक्ता के रूप में समाज में सम्मानीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर संस्थापक एवं अध्यक्ष, भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी, सम्पादक, जय कुलदेवी राष्ट्रीय हिन्दी मासिक समाचार पत्रिका, और संस्थापक एवं अध्यक्ष, चैरिटेबल संस्था - जय कुलदेवी फॉउन्डेशन के पद पर जनहित और राष्ट्रहित में सतत सेवारत हूँ साथ ही साथ एवं गौ सेवा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयासरत हूँ इसके साथ ही विधिक शिक्षा, सहायता- मुफ्त क़ानूनी परामर्श और गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करता हूँ । साथ ही **Tapasvi Entertainment Labs Private Limited** का **Sleeping Director and Founder** हूँ । वकालत प्रारम्भ करने से पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अनेकों प्रतिष्ठित कम्पनियों के साथ कार्य कर चूका हूँ ।

(शेष पेज नं. २ पर)

THAT AN ADVOCATE IS A GUARDIAN OF CONSTITUTIONAL MORALITY AND JUSTICE EQUALLY WITH A JUDGE.

Advocate, is a person in uniform involved in a noble profession. The office of the lawyer is no less respected than Courts of law.

~ Engineer Vijay Singh Yadav, Advocate

MP/1549/2019 (Enrolment No. in State Bar Council)

Address: 40, Laxmi Nagar, Ratneswar Road, Ratlam(M.P.) 457001 e-mail:LEGAL@JAYKULDEVI.COM, Mo.: 89890-01819

who always spoke out against injustice and stood up for the poor and helpless people and worked as a lawyer for many years advocating for human rights and obtaining justice for them.

FAIR CRITICISM OF THE JUDICIARY

Freedom of speech is a fundamental right guaranteed to every Indian citizen under Article 19(1)(a) of the Constitution, albeit subject to reasonable restrictions under Article 19(2). In C.K. Daphtary v. O.P. Gupta (1971), the Supreme Court held that the existing law of criminal contempt is one such reasonable restriction. That does not mean that one cannot express one's ire against the judiciary for fear of contempt.

My expression represents my bonafide beliefs, the expression of which must be permissible in any democracy. Indeed, public scrutiny is desirable for the healthy functioning of the judiciary itself. I believe that open criticism of any institution is necessary in a democracy, to safeguard the constitutional order.

I am never afraid to confront corrupt judges and call them out. my fearless and outspoken voice will be sorely missed at a time when JUDICIAL MISCONDUCT and lack of judicial independence are reaching a crescendo.

I will write a couple of questions for JUDICIAL MISCONDUCT every day, which were duly published in JAY KULDEVI for the next several months.

- Engineer Vijay Singh Yadav, Advocate

न्यायालय कि आदेशपत्रिका की सद्भावनापूर्ण और सकारात्मक आलोचना

यदि मै इंजिनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता न्यायपालिका और उसके अनेकों फैसलों / आदेशों / विधि की प्रक्रिया का दुरुप्रयोग करने वाली न्यायालय कि आदेशपत्रिका की सद्भावनापूर्ण और सकारात्मक आलोचना करता हूँ की इसे अदालत की अवमानना और न्याय कार्य में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता हैं । कोर्ट द्वारा दिये किसी भी निर्णय पर तथा न्यायिक क्षमता (शक्ति) में जज के व्यवहार पर **(a) Fair** (न्याययुक्त ,सच्ची,स्पष्ट,शुद्ध), **(b) Reasonable** (विवेकयुक्त, उचित, न्यायसिद्ध) और **(c) Legitimate** (यथायोग्य, नियमानुसार, खरी) आलोचना **(criticize)** साधारण आदमी **(ordinary men)** द्वारा भी की जा सकती है । न्याय या फैसला **(justice)** मठ का आदेश **(cloistered)** नहीं है। फैसले **(judgement)** की **scrutiny** (सुक्ष्म परिक्षा,छानबीन,अनुसंधान,जांच) की जा सकती हैं । **यद्यपि हमारा आशय किसी भी प्रकार से न्यायालय की गरिमा या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है, अपितु आम नागरिकों को कानून की प्रक्रिया के प्रति जागरुक करना है । अतः किसी को भी कोई आपत्ति हो या किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो संपादक / प्रकाशक क्षमाप्रार्थी है ।**

सम्पादकीय...

एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है

न्यायिक प्रक्रिया बहुत महंगी हो गई है । गरीब आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है । ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की जिम्मेदारी बढ़ जाती है । त्वरित न्याय प्रदान करने के माननीय न्यायपालिका को गंभीरता से चिंतन करना होगा।

हमारे देश में अतीत में राजाओं और बादशाहों से न्याय पाने के लिए कोई भी व्यक्ति उनके निवास के बाहर घंटी बजा सकता था और न्याय पा सकता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है ।

मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या हम, सभी के लिए न्याय सुलभ करा पा रहे हैं ?

विरोध के संवैधानिक अधिकार को दबाने की मानसिकता मध्य प्रदेश में प्रबल होती जा रही है अगर यह मानसिकता प्रचलित होती रही तो लोकतंत्र एवं मानव रचित न्याय व्यवस्था के लिए दुखद दिन होगा ।

भारत में न्याय आदिकाल से दुर्लभ रहा है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि

शनैः शनैः न्याय का अस्तित्व विलोपित होता जा रहा है, वर्तमान युग में मत्स्य न्याय व्यवस्था फैली हुई है इस कारण धनाढय और संपन्न लोगों को न्याय पालिका से कभी कोई शिकायत नहीं रही हैं, बड़ी चालाकी से धनाढय और संपन्न लोगों द्वारा निर्धन और असहाय लोगों पर शासन किया जा रहा हैं ।

मुझें पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और मै महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा..

.....इंजीनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता

अनसॉल्वड कैसेस - (पहले पेज का शेष आलेख)

प्रश्न 02 - आपके विरुद्ध FIR जज साहिबा ने तो दर्ज नहीं करवायी थी ? फिर FIR किसने और क्यों दर्ज करवाई थी ?

उमेश कुमार गुप्ता (भूतपूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम मध्य प्रदेश) एवं अन्य ने स्पष्ट दुर्भावनापूर्ण इरादों से न्यायिक प्रक्रिया को दमन या अनावश्यक उत्पीड़न का साधन के रूप में प्रयोग किया था और इसे प्रतिशोध को मिटाने के एक उल्टे मकसद से शुरू किया था ।

उमेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक 1743(A)/2021 दिनांक 08-02-2021 में सरकारी ईमेल आईडी पर कूट रचित दस्तावेज आदि के संबंध में लेख दिया है किंतु चालन डायरी में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है । उमेश कुमार गुप्ता का पत्र पुलिस को भ्रामक जानकारी देने का प्रत्तीत होता हैं । यह रचना मिथ्या इत्तला लोकसेवक को देकर मिथ्या आक्षेप लगाये जाने के आशय से की थी ।

ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश पत्र रहस्यमय परिस्थितियों में किसी परोक्ष उद्देश्य से पारित किया गया था। सभी आवश्यक औपचारिकताओं को छोड़ कर प्रत्येक शामिल व्यक्ति केवल प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए उत्सुक था ।

महेंद्र चौहान सिस्टम ऑफ़िसर जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम मध्य प्रदेश ने उक्त पत्र का लाभ लेकर रतलाम पुलिस विभाग के अधिकारियों से लिखित रूप से विजय सिंह यादव के विरुद्ध 420,467,468,469 भादवि एवं आई टी एक्ट की धारा 67 सहपठित धारा 41 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ।

इस प्रकार विधि विशेषज्ञों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग कारित किया ।

केवल प्राथमिकी दर्ज करना इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपराध किए गए हैं और अभियोजन द्वारा एकत्र की गई सामग्री मामले को साबित करने के लिए समर्थन नहीं करती है और अस्थिर या बिना किसी सामग्री के अभियोजन जारी रखना है कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग।

आरोपी के विरुद्ध दोषसिद्ध अभिलिखित करने की कोई संभावना नहीं हैं, उसका परीक्षण निरर्थक अनुप्रयोग होगा और इसका जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुप्रयोग कारित करेगा।

प्रश्न 03 - क्या आपको गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया गया था?

विजय शेखर की ओर अग्रसर मुझे इसलिए गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया किया गया था क्योंकि मैंने दंभी वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायते करके उनकी ईर्ष्या और द्वेष को जगा दिया था । मेरी अनुचित आलोचना दरअसल में मेरी अप्रत्यक्ष प्रशंसा थी ।

ये प्रकरण कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है । जहां निजी प्रकृति के विवाद को आपराधिक अपराध का रंग दिया गया है और आगे कथित अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद नहीं हैं और इसलिए,आपराधिक कार्यवाही अपने आप में कष्टप्रद और दमनकारी हो गई ।

प्रश्न 04 - कौन है वो जिसने मेमोरण्डम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में आरोपी जिसने मेमो दिया था ?

अपराध क्रमांक 101/21, पुलिस थाना, स्टेशन रोड जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) के आरोप पत्र में आईपीसी के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया है ।

मेमोरण्डम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम - नाम आरोपी जिसने मेमो दिया - विजय यादव पिता कुंदन पिता राजेंद्र जयसवाल उम्र 28 वर्ष निवासी धबाई जी का वास, रतलाम (म. प्र.) दिनांक 09.02.2021 एवं दिनांक 10.02.2021

प्रश्न 05 - क्या जज साहिबा ने अपने कथन पुलिस को दिए थे ?

मेरे शब्द इस विषय पर मौन धारण किए हुए क्योंकि डायरी के बयानों में कृत्रिमता और बनावटीपन झलक रहा है आधे बयान में अलग भाषाशैली और आधे से ज्यादा बयान में अलग भाषाशैली का प्रयोग किया गया हैं ।

एक कहावत है की एक झूठ छिपाने के लिए सौ झूठ बोलने पड़ते हैं

1. बेहद अविश्वसनीय है कि मिताली पाठक साहिबा मजिस्ट्रेट वर्तमान में श्योपुर (म.प्र.) में पदस्थ जोकि विधि विद्वान होकर दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 44 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग में समर्थ हैं कथन करती हैं की एक वकील साहब मेरी कोर्ट के दरवाजे के सामने बैठ जाते है और दिन भर मुझे देखते रहते है और मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं ।

स्पीड पोस्ट से मुझे कोर्ट के समय में ग्रीटिंग भेजा गया हैं जबकि सम्पत्ति जप्ती पत्रक के अनुसार ग्रीटिंग कार्ड उनके निवास स्थान पर प्राप्त होकर साक्ष्यों के समक्ष जब्त किया गया था।

मिताली पाठक साहिबा के निवास स्थान पर उनके कब्जे से ग्रीटिंग कार्ड की बरामदगी पर गंभीर संदेह पैदा होता है। इसमें अभियोजन की कहानी और सम्पत्ति जप्ती पत्रक में भी विसंगति पाई गई । इससे अभियोजन की कहानी की सत्यता पर संदेह पैदा होता है ।

2. कथित स्पीड पोस्ट से कोर्ट के समय में प्राप्त ग्रीटिंग कार्ड को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर पर ले जाने और पुलिस स्टेशन, स्टेशन रोड, रतलाम (म.प्र.) में बयान देने और पुलिस की शेष औपचारिकताओं को पूरा करने की अनुमति के संबंध में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम (म.प्र.) से प्राप्त अनुमति से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रश्न 06 - क्या आपके प्रकरणों में निष्पक्ष सुनवाई कि जा रही है ?

I AM SORRY TO SAY THAT, मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ भोपाल (म.प्र.) ने भी बिना अधिकारों से जमानत का विरोध किया है जो कि दलित वर्ग के युवक के विरुद्ध विधि की प्रक्रिया का दुरुप्रयोग छल के प्रायोजन से कोरोना संकटकाल में ख्याति को अपहानि, मानहानि, मानसिक प्रताड़ना, हितों, प्राण,जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन को साशय हनन से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है । विधिक विशेषज्ञों के द्वारा विधि की प्रक्रिया का दुरुप्रयोग करने के कारण गंभीरता और अधिक बढ़ जाती है ।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक 1743 (A) /2021 दिनांक 08-02-2021

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक 04 /गोप./2021 दिनांक 09-02-2021 के अलोक में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम मध्य प्रदेश द्वारा प्रकरण

क्रमांक एसटी 162/2021 की सुनवाई करना कानून और नैतिकता दोनों की दृष्टि से पूरी तरह से गलत है।

न्याय का पहला सिद्धांत है कि "Nemo judex in propria causa"- लैटिन से अनुवाद में कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत शिकायतकर्ता जोकि स्वयं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम मध्य प्रदेश हैं खुद को खुद की शिकायत से दर्ज प्रकरण में सुनवाई हेतु नियुक्त किया हैं।

प्रश्न 07 - आपके द्वारा उमेश कुमार गुप्ता, भूतपूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम मध्य प्रदेश एवं अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में क्या निष्पक्ष सुनवाई कि जा रही है ?

I AM SORRY TO SAY THAT,

Ref:- From-A dated 12/07/2022 received on 12/07/2022 & marked Id. No. - 1550/ 2022

एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है।

उमेश कुमार गुप्ता, भूतपूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम मध्य प्रदेश के प्रभाव में ऐसा प्रतीत होता है की मध्य प्रदेश की न्यायपालिका पूर्वाग्रह या पक्षपात से ग्रसित हैं इसी कारण इंजीनियर विजय सिंह यादव, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को न्यायालय के अभिलेख से हटाने का हर संभव प्रयास किया जाता हैं अथवा न्यायालय के अभिलेख पर होने पर भी गुण दोषों के आधार पर निराकृत करने के बजाये 'तारीख पे तारीख' लगता है की केस लड़ना यानी की जवानी में जो केस हुये है, वह बुढ़ापे में भी चलते रहेना सीधा लोगो को थका देता है ।

इस प्रकार विधि विशेषज्ञों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग कारित किया जा रहा हैं । यदि इस प्रकार उमेश कुमार गुप्ता, भूतपूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम मध्य प्रदेश के प्रभाव में न्यायपालिका पूर्वाग्रह या पक्षपात से ग्रसित होती है तो धारा 18-ए अंतर्गत मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (योजना) 1989 संशोदित नियम 1995 का प्रावधान जोडने का विधायिका का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा।

18-ए जो कहती है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले ना जांच की जरूरत है और ना ही जांच अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी से पहले किसी की इजाजत लेने की आवश्यकता।

यह कानून दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करता है और इसका बेजा इस्तेमाल नहीं होता है । ज्यादातर आरोपियों के बरी होने का कारण उनका निर्दोष होना नहीं है बल्कि गवाह का अपने बयान से पलट जाना है। हाशिये पर जीने वाले दलित-वंचित समुदायों की सामाजिक हैसियत अन्य तबको की अपेक्षाकृत निम्न दर्जे की होती है। उन्हें चुप कराने के लिए आज भी समाज की वर्चस्वशाली जातियों के लोग विभिन्न तौर-तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। देश में अभी भी दलित समाज, समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं।

इस देश की न्यायिक प्रणाली कानून के शासन द्वारा शासित है, और इसकी विश्वसनीयता प्रणाली में जनता के विश्वास पर आधारित है। इस तरह के उदाहरण, यदि आरोप सही हैं, तो व्यवस्था में ही एक आम आदमी के विश्वास को झकझोरने की क्षमता है। नतीजतन, यह महत्वपूर्ण है कि आरोपों और प्रति-आरोपों की

(शेष पेज नं. ३ पर)

अनसॉल्वड कैसेस -

(पेज नं.२ का शेष आलेख)

स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पूरी तरह से जांच की जाए।

उच्चतम स्तर की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखना एक न्यायाधीश की पहचान है और जनता अत्यधिक विश्वास के साथ अदालत का रुख करती है।

प्रश्न 08 - कमलेश पिता कन्हैयालाल राठौर का मेमो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

राठौर फोटो एवं गिफ्ट ऑफसेट की दुकान कमलेश पिता कन्हैयालाल कि इस संबंध में को स्वामित्व के दस्तावेज चालन डायरी में प्रस्तुत नहीं है ।

कमलेश राठौर के कथन के अनुसार दिनांक 04-05-2021 से करीब 4 माह पहले विजय सिंह यादव पिता राम सिंह यादव द्वारा हैप्पी बर्थडे का ग्रीटिंग कार्ड प्रिंट करवाना बताया गया जबकि इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि दुकान पर ग्रीटिंग कार्ड सॉफ्ट कॉपी, बिल, CCTV कथन के समर्थन में प्रस्तुत नहीं है ।

यह है कि जब उक्त जब्त प्रिंटर से ही ग्रीटिंग कार्ड प्रिंट किया गया है इसकी फॉरेंसिक या विशेषज्ञ रिपोर्ट भी संलग्न नहीं है ।

प्रश्न 09 - माननीय रोहित आर्य साहब ने आपके मानसिक परीक्षण का आदेश पारित किया था ? उसके बारे में आपके क्या विचार हैं ?

(जोर से हँसते हुए कहा कि थोड़ी देर रुकिए मुझे अपनी हंसी पर नियंत्रण करना होगा...)

I AM SORRY TO SAY THAT, माननीय रोहित आर्य साहब द्वारा मेरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय मेरे मानसिक परीक्षण का आदेश पारित किया गया जिसका पूर्वनियोजित योजना के आधार पर समाचार पत्रों ने काफी प्रचार प्रसार किया । ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कुछ वर्ष पूर्व माननीय रोहित आर्य साहब की शिकायत की गई थी, उसका दुखद परिणाम है ।

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE

FORM-E, Form of supply of the Information to the applicant

No.RTIA/DR-HCIND/ 1250 Indore, Dated 01/07/ 2019

मेरा मानसिक परीक्षण किया गया जिसमें मानसिक परीक्षण करने वाले सभी आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे थे कि मुझे परीक्षण के लिए क्यों भेजा गया हैं ? मैंने कहा - यह तो रोहित आर्य साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने मेरा पक्ष सुने बिना, मुझे देखे बिना, मेरा मानसिक परीक्षण का आदेश किस आधार पर पारित किया है । मानसिक परीक्षण का निष्कर्ष सामान्य था ।

प्रश्न 10 - न्यायाधीशों के परिवार के लोगों खासकर उनके पिता, भाई, बेटी, बहन, बेटा, इनका भी न्यायालय में वकालत करना प्रश्नचिन्ह अंकित करते है ?

न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें विधिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए इसके बावजूद सेवानिवृत्त होने के बाद जजों को वकालत करने देना अदालतों को प्रभावित करने में कुछ विशेष लोगों की मदद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालतों को प्रभावित करता है । ये लोग अपने परिचय का हवाला देकर पक्षकारों से अनुकूल आदेशों के लिए मोटी तगड़ी फ़ीस वसूल करते है ?

ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ख़तरनाक हो सकता है और आम जनता के विश्वास को प्रभावित करता है, इस कारण एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार न्यायपालिका कभी भी वास्तविकता नहीं बन पाएगी । विडंबना यह है कि आम नागरिक सवालिया नजर से देखने पर मजबूर होता है तो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी नियुक्ति को स्वीकार करने पर पाबंदी होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद होने वाली जजों की नियुक्तियों से उनके दिए फैसलों पर संदेह की गुंजाइश की संभावना बन जाती है भले ही वे फैसले सही हो ।

'जब एक जज सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से किसी नियुक्ति की उम्मीद कर रहा हो तो वो आमतौर पर अपने सेवानिवृत्ति के आखिरी साल में सरकार को नाखुश नहीं करना चाहेगा. यह एक आम शिकायत है कि ऐसे जज सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली नियुक्तियों की उम्मीद में सरकार को नाखुश करने की हिम्मत नहीं दिखाते. "लोगों का विश्वास वो पत्थर की नींव है जिस पर न्यायिक समीक्षा की इमारत और किसी निर्णय का प्रभाव टिका हुआ है. जनता के दिमाग में न्यायपालिका की विश्वसनीयता को लेकर गिरावट आना, फिर चाहे उसकी कोई भी वजह हो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है.'

प्रश्न 11- सुना है आपने अपने जेल के अनुभवों पर कोई किताब लिखी हैं ?

मैंने जेल में रहकर **बंदीछोड़** नाम से किताब लिखना शुरू कि थी जोकि अभी पूरी नहीं हुई है किन्तु उसका प्रथम ई -संस्करण गूगल बुक्स पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं।

प्रश्न 12 - अंत में कुछ विशेष चरण के रूप में कुछ कहना चाहेंगे ?

ये मजनू मस्त मौला है , खुदा के पास क्यों जाये ? अगर खुदा को ज़रूरत है,. तो लैला बन के आ जाये !

अब इस पर लोग अपनी अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे। कुछ कहेंगे खुद को मजनू समझता है तो कुछ कहेंगे कि किसी को खुदा समझता है।

शेष अगले भाग में .....

शुभकामनाएँ

समस्त पाठकों , शुभचिंतकों, ईष्टमित्रों एवं देशवासियों को नववर्ष, मकर सक्रांति , गणतंत्र दिवस की

जय कुलदेवी

परिवार की ओर से स्वर्णिम शुभकामनाएं

- संपादक

❐ प्रकरण सम्बंधी महत्वपूर्ण पत्र

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी,
पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम।

विषय - कु. मिताली पाठक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम की शासकिय ई-मेल आईडी पर अवांछित रुप से ई-मेल किये जाने के संबंध मे।

महोदय ,

उपरोक्त विषय के संबंध मे निवेदन है कि मै रतलाम जिला न्यायालय मे सिस्टम आफिसर के पद पर कार्यरत हुँ।

यह कि दिनांक 29.01.2021 को मुझे कु. मिताली पाठक न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम द्वारा बुलाकर डाटा गया कि यह सरकारी आईडी पर हेप्पी बर्थ डे की पोस्ट आई है इस पर से मैने उसकी जांच पडताल की तो यह पता चला कि उनकी सरकारी ई-मेल आईडी mitali.pathak@aij.gov.in पर मेल आईडी legal@jaykuldevi.com से किन्ही विजय सिह यादव अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 28.01.2021 की रात के 01.11 बजे यह मेल की गई है जबकि उनको कु. मिताली पाठक जानती नही है। इस प्रकार अधिवक्ता श्री विजय सिह यादव के द्वारा सायबर क्राइम किया गया है।

यह कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी दिये जाने पर कु. मिताली पाठक के द्वारा मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड दिखाया और मुझे यह भी बताया गया कि उनकी फेसबुक एकाउन्ट की डीपी से फोटो को डाउनलोड करके उस पर अशोभनीय मैसेज लिख कर उस पर कुट रचित रूप से फोटो लगाकर स्पीड पोस्ट से उन्हे कोर्ट के समय में ग्रीटिंग भेजा गया है।

अत: उपरोक्त कुटरचित दस्तावेज के संबंध मे अधिवक्ता श्री विजयसिह यादव के विरुद्ध धारा 420,467, 468,469 भादवि एवं आईटी एक्ट की धारा 67 सहपठीथ धारा 41 के अंतर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करे।

1. सलग्न दस्तावेज

प्रार्थी
महेन्द्र सिह चौहान
सिस्टम आफिसर
जिला न्यायालय रतलाम

प्रतिलिपि

1.श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रतलाम
2. सायबर सेल प्रभारी जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

महेन्द्र सिह चौहान
सिस्टम आफिसर
जिला न्यायालय रतलाम

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम म.प्र.

::ज्ञापन::

क्र./343(1)/2021 रतलाम दिनांक 8.2.2021

प्रति

श्री महेन्द्र सिंह चौहान,
सिस्टम ऑफिसर,
जिला न्यायालय रतलाम

विषय - कु.मिताली पाठक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रतलाम की शासकीय ईमेल आईडी पर अवांछित रूप से ईमेल किये जाने के सबध में।

संदर्भ - आपका पत्र दिनांक 08.02.2021

---000---

आदेशानुसार उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं विषयानुसार लेख है कि कु. मिताली पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सरकारी ईमेल आईडी पर कुटरचित दस्तावेज आदि के सबध में अधिवक्ता श्री विजय सिंह यादव, के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की गई हैं।

8.2.20
प्रशासनिक अधिकारी
कार्या.जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम

Self Attested
08/02/2021

Corporate Identity Number : U85300MP2021NPL058018

चेरीटेबल संस्था

JAY KULDEVI FOUNDATION
जय कुलदेवी फॉउन्डेशन
मेरी भक्ति, कुलदेवी की शक्ति

Tapasvi Entertainment Labs Pvt. Ltd.
bringing visions to life

JAY KULDEVI NEWSPAPER Presents

"UNSOLVED CASES" - अन्याय और सामाजिक विषमता का विरोध

COMING SOON

We are looking for victims of abuse and injustices turned superheroes, just because they were brave enough to tell their stories to our upcoming web series TALK SHOW

न्यायपालिका और उसके अनेकों फैसलों / आदेशों / विधि की प्रक्रिया का दुरुप्रयोग करने वाली न्यायालय कि आदेशपत्रिका की सद्भावनापूर्ण और सकारात्मक आलोचना ।

इंजी. विजय सिंह यादव, अधिवक्ता
Er. Vijay Singh Yadav, Advocate

कार्यालय : 40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड़, रतलाम (म.प्र.) 457001
Office : 40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam (M.P.) 457001

9827-007-283 www.JayKulDevi.com info@JayKulDevi.com JayKulDevi JayKulDevi JayKulDevi

स्वामी जय कुल देवी सेवा समिति रतलाम प्रकाशक, मुद्रक विजय सिंह यादव (अध्यक्ष–जय कुलदेवी सेवा समिति रतलाम), द्वारा आशीर्वाद ऑफसेट शाप नं.05 गाँधी स्कूल के पास, नाहरपुरा गली नं.2 रतलाम (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक विजय सिंह यादव मो. 9827007283। न्याय क्षैत्र रतलाम (म.प्र.) रहेगा। डाक पंजीयन क्रमांक एमपी/आरटीएम/221/2023-25
RNI - MPHIN/2018/75494